Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

राजस्थान—सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं

क्रमांकः राज/भु.रू/14/121-124 दिनांक 09.07.2014

संपरिवर्तन आदेश

बुहाना शिक्षा समिति बुहाना जरिये सचिव श्री रतनसिंह पुत्र प्रहलादसिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं वाके ग्राम बुहाना ग्राम पंचायत बुहाना तहसील बुहाना ने स्वयं के खातेदारी अभिधृति में धारित स्थित कृषि भूमि ख0नं0 2203/4 रकबा 0.5634 हैं0 में से 2500 व0मी0 का संस्थागत (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ हेतु संपरिवर्तन के लिये आवेदन किया गया है।

अतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम–2007 के अधीन एवं राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6 (5) रेवन्यू–6/92 पीटी/8 दिनांक 26.04.11 व राजस्व (ग्रुप–9) विभाग के परिपत्र क्रमांक प–2 (135) राज/भू.रू./2012 दिनांक 24.08.2012 के विहित प्राधिकृत अधिकारी को संपरिवर्तन के अधिकार में संशोधन किया गया है अतः संस्थागत (शैक्षणिक) प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है–

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम,पिता/पति का नाम	बुहाना शिक्षा समिति बुहाना जरिये सचिव श्री रतनसिंह पुत्र प्रहलादसिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं
2.	क्या आवेदक अनु0जाति या अनु0 जन जाति का सदस्य है?	नही
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौराः– (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा नम्बर और प्रत्येक खसरा नम्बर का क्षेत्रफल (है0 में) (ग) प्रत्येक ख0 न0 का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (है0 या वर्गमीटर में)	(क) ग्राम – ग्राम बुहाना ग्राम पंचायत बुहाना तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं (ख) ख0नं0 2203/4 रकबा 0.5634 हैं0 (ग) ख0नं0 2203/4 रकबा 0.5634 हैं0 में से 2500 व0मी0
टिप्पणीः– अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापति प्रति सलंग्न है।		
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	**संस्थागत (शैक्षणिक) प्रयोजन**
5.	चालान सं0 तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमियम कर रकम	चा0– 112 दिनांक 22.05.2014 राशि 24470 रू0 जमा दिनांक 23.05.2014
6.	चालान सं0 तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	नही
7.	चालान सं0,तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	नही
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम–13 के अधीन जारी किया गया है।	नही

उपखण्ड अधिकारी बुहाना

Scanned with ACE Scanner

9.	अन्य कोई विशिष्टियां, यदि कोई हो	नही
10.	उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगाः– (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल होता है जो अनुज्ञा प्रत्याहत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रमीयक धन समपहत हो जायेगा। (3) नियम–4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये सपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। (5) इण्डियन रोड़ कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क के मध्य से निर्धारित दूरी राज्य पक्ष में छोडनी होगी। (6) निकटस्थ नगरपालिका/ग्राम पंचायत की उपविधियां की पालना करनी होगी। (7) राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/परिपत्र एवं दिशा–निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा।	

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना जिला–झुंझुनूं
दिनांकः 09.07.2014

क्रमांक–सम– 121-124

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय झुंझुनूं को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।।
2. तहसीलदार बुहाना को राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल–दरामद करने हेतु।
3. ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत बुहाना।
4. बुहाना शिक्षा समिति बुहाना जरिये सचिव श्री रतनसिंह पुत्र प्रहलादसिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं ।

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना जिला–झुंझुनूं

Scanned with ACE Scanner

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर, झुन्झुनू

क्रमांक प12(3)(50)राज/2014/ दिनांक :- /5/2015

संपरिवर्तन आदेश

आवेदक बुहाना शिक्षा समिति जरिये सचिव श्री रतनसिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह जाति राजपूत तहसील बुहाना जिला झुंझुनू ने अपने स्वंय की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बुहाना, ग्राम पंचायत बुहाना तहसील बुहाना स्थित ख0न0 2203/4 रकबा 0.5634 है0 किस्म बारानी-3 में से 0.25 है0 (2500 व0मी0) भूमि का संस्थागत प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन के लिये आवेदन किया है। अतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9(g) एवं राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना कमांक एफ6(5)रेव-6/92/पीटी/8 दिनांक 26.4.2011 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्ठियां नीचे दी गई है:-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	बुहाना शिक्षा समिति जरिये सचिव श्री रतनसिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह जाति राजपूत तहसील बुहाना जिला झुंझुनू
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है	नहीं
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा: (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम बुहाना, ग्राम पंचायत बुहाना तहसील बुहाना
	(ख)भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	खसरा संख्या 2203/4 रकबा 0.5634 है0
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	खसरा संख्या 2203/4 रकबा 0.5634 है0 मे से 0.25 है0 (2500 व0मी0)
	टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यकरूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक प्रयोजनार्थ (शिक्षण संस्था)
5.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमीयम की रकम	चालान संख्या 45 दिनांक 11-11-14 राशि 16,189/-रू0 तथा चालान संख्या दिनांक राशि 12,561/- कुल राशि 28,750/- रू
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
7.	चलान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के अधीन जारी किया गया है	नहीं
9.	अन्य कोई विशिष्ठियां यदि कोई हो	नहीं

Scanned with ACE Scanner

10	उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:- (1) इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डो के अनुसार सड़क के मध्य से सड़क मार्गाधिकार हेतु छोड़ने के पश्चात ही निर्माण करेगा । तथा आवेदक द्वारा आवेदित भूमि तक निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप विधिवत पहुंच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। (2) यदि प्रार्थी नेशनल हाईवे से रास्ता चाहते है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़क से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी । (3) निकटस्थ नगरपालिका/स्थानीय निकाय की उपविधियों की पालना करनी होगी। एवं निर्धारित माप दण्डों के अनुसार निर्माण कराया जावेगा। (4) राजस्व विभाग के परिपत्र प.6(6)राज-6/92 पार्ट दिनांक 17-7-2007 तथा अग्नि शमन हेतु नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 24-10-07 के निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जावे स्थानीय प्रशासन से उक्त परिपत्र के अनुसार नक्शा अनुमोदित कराकर ही निर्माण कार्य कराया जावेगा। अग्निशमन संबंधी सुरक्षा मानदण्डों की पालना की जावेगी। (5) शिक्षण संस्था हेतु मॉडल भवन विनियम 2010(संशोधित) में वर्णित सभी बिन्दूओं की पालना सुनिश्चित की जावे । (6) कुल भूमि का 40 प्रतिशत भू भाग सार्वजनिक सुविधाओ के लिए आरक्षित रखना होगा। प्रस्तावित स्थल से पानी के निकास एवं वर्षा जल संग्रहण हेतु संरचना का निर्माण किया जावेगा। (7) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा। (8) राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश/परिपत्र एवं दिशा-निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा। (9) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। (11) नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। (12) उपरोक्त शर्तों की पालना करने का दायित्व आवेदक का होगा । शर्तो का उल्लंघन होने पर आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

(सलविन्द्र सिंह सोहता)
जिला कलेक्टर, झुन्झुनू
दिनांक :- 18/5/2015

क्रमांक प 12(3)(50)राज/2014/15
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:- जिला राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट झुन्झुनू।

1. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट झुन्झुनू।
2. उप खण्ड अधिकारी बुहाना।
3. तहसीलदार/उप पंजीयक बुहाना।
4. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड बुहाना।
5. सचिव, ग्राम पंचायत बुहाना पं0 स0 बुहाना जिला झुन्झुनू।
6. बुहाना शिक्षा समिति जरिये सचिव श्री रतनसिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह जाति राजपूत तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।
7. गार्ड फाईल

(सलविन्द्र सिंह सोहता)
जिला कलेक्टर, झुन्झुनू

उप पंजीयक बुहाना
झुन्झुनू

Conversion Order.doc

Scanned with ACE Scanner

Mob. No.-9414648338
01593-288011

बाबा उमदसिंह महाविद्यालय

बुहाना, जिला-झुंझुनूं (राज०)

प्रेषक-:
प्राचार्य/सचिव
बाबा उमदसिंह महाविद्यालय
बुहाना, (झुंझुनूं) राज.

प्रेषित:-

पत्रांक 15 BUSC/2019-20

दिनांक 25-9-2019

प्रसंग -

श्रीमान रजिस्ट्रार महोदय
पं. दी. द. उ. शेखावाटी विश्वविद्यालय
सीकर

विषय:- प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ का अनुमोदन करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बाबा उमद सिंह महाविद्यालय बुहाना जिला झुन्झुनू सत्र 2009-10 से चल रहा है। महाविद्यालय में कार्यरत प्राचार्य एवं व्याख्याताओं के समस्त दस्तावेज सलंग्न कर भिजवाये जा रहे हैं। अत: श्रीमान जी से नम्र निवेदन है कि उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्राचार्य एवं व्याख्याताओं का अनुमोदन करने का श्रम करे।

सलंग्न :-

(i) प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ की सूची
(ii) प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ के दस्तावेज

Principal
Baba Umad Singh PG College
Buhana (JJN)

Scanned with ACE Scanner

01593-288011

बाबा उमदसिंह महाविद्यालय

बुहाना, जिला-झुंझुनूं (राज०)

प्रेषक-:
प्राचार्य/सचिव
बाबा उमदसिंह महाविद्यालय
बुहाना,(झुंझुनूं)राज.

प्रेषित:- ____________

दिनांक 5-10-2019

पत्रांक 15/BUSC/2019-20

प्रसंग - प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ की सूची

SL.No	प्राचार्य एवं व्याख्याताओं के नाम	विषय
1	श्री सुरेश कुमार	प्राचार्य
2	श्री रवी कुमार	समाजशास्त्र
3	श्री कृष्ण कुमार रावत	लोक प्रशासन
4	श्री रामदेव सिंह	हिन्दी
5	श्री सुरेश कुमार	इतिहास
6	श्री हरेन्द्र यादव	भूगोल
7	किरण शेखावत	अंग्रेजी
8	कृष्ण कुमार रावत	लोक प्रशासन
9	रामदेव सिंह	हिन्दी
10	विनोद कुमार	राज० विज्ञान
11	प्रफुल टकोडिया	इतिहास
12	सुमन कुमारी	हिन्दी
13	श्रीराम यादव	BOTANY
14	पंकज कुमार	Physics
15	अनिल कुमार	Chemistry

Principal
Baba Umad Singh PG College
Buhana

निदेशक (न.स.)
कालेज शिक्षा, जयपुर(राज.)